न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

रा.उ.प्रा.वि. ढाणी तोलीवाला ⁄. महावीर प्रसाद कौ०
प्रा०पत्र धारा 136 LR Act
मु०न० 406/2017

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी का कथन है कि भूमि नये ख.न. 2457/2 व 2457/3 जिसके पुराने ख.न. 2793/2/1, 2793/2/3 है। पुराने खसरा नम्बरो की तरमीम नक्शे में है। नये खसरा नम्बरों की तरमीम नक्शे में नही की गई। पुराने ख.न. की जहॉ तरमीम है वहॉ स्कुल भवन व खेल मैदान बना हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें एवं तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिये जावें स्कुल भूमि कि पुराने नक्शे के अनुसार नये नक्शे में तरमीम की जावें।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड, नक्शा, डीआईएलआरएमपी के तहत नवीनतम ऑन लाईन राजस्व मैप का अवलोकन किया गया। डीआईएलआरएमपी के तहत नवीनतम ऑन लाईन राजस्व मैप के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील नीमकाथाना में डीआईएलआरएमपी के तहत नवीनतम ऑन लाईन राजस्व मैप में वन टू वन मैपिग की जा चुकी है तथा प्रार्थी के खसरा नम्बरों की तरमीम हो चुकी है। अब प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रही है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रहने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर कायमी दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 18:00:10 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)